नीति आयोग

राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान - XI. B·A Economics

National Institution For Transforming India NITI

Dr. Vinod Baitha
Deptt. of Economics
Marwaricollege
Darbhanga

नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 65 वर्ष पुराने योजना आयोग का अस्तित्व समाप्त हो गया है और उसके स्थान पर नया संस्थान नीति आयोग का गठन किया गया है। 1 जनवरी 2015 को नया संस्थान अस्तित्व में आया जिसे नीति आयोग के नाम से हमलोग जानते हैं। यह संस्था सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएँ प्रदान करेगा। इस संस्थान की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। यह भारत सरकार के लिए निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग केन्द्र और राज्य स्तरों पर सरकार की नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक महत्वपूर्ण एवं तकनीकि परामर्श उपलब्ध कराएगा। इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय आयात, देश के भीतर, साथ-ही साथ अन्य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार नए नीतिगत विचारों का समावेश और विशिष्ट विषयों पर आधारित समर्थन से संबंधित मामले शामिल होंगे। यह आयोग पंचवर्षीय योजनाओं के भावी स्वरूप आदि ~~आ~~ के संबंध में सरकार को सलाह देने वाली संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रीयों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों के उपराज्यपालों को इसकी अधिशासी परिषद Governing council में शामिल किया गया है। योजना आयोग और नीति आयोग में मूलभूत अंतर है कि इसमें केन्द्र से राज्य की तरफ चलने वाली एक पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागि से बदल दिया जाएगा।

इस प्रकार नीति आयोग का स्वरूप योजना आयोग की तुलना

अधिक केन्द्रित बनाया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले इस आयोग में एक उपाध्यक्ष व एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी chief Executive Officer – CEO का प्रावधान किया गया है। नीति आयोग केन्द्र और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर रणनीतिक व तकनीकी सलाह भी देगा। यह आयोग पंचवर्षीय योजनाओं के अभी स्वरूप, आर्थिक के निर्णय, आर्थिक की नीतियों के संबंध में सलाह देगा।

नीति आयोग का विजन 2020 Vision 2020 of NITI Aayog

- नीति आयोग ने 2016 से 2020 के बीच भारत में विश्वस्तरीय रेल एवं सड़क नेटवर्क विकसित करने के लिए विजन 2020 घोषित किया है। जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित है।

1. एकल. मध्यवर्ती एवं 4.2.6 लेन सहित राजमार्गों की लम्बाई 4,54,060 किलोमीटर से बढ़ाकर वर्ष 2020 तक के अंत तक 9.60.000 किलोमीटर करना है।
2. 2016-17 के लिए नीति आयोग ने 86,372 किलोमीटर राजमार्ग के विकास का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। जिसे वर्ष 2020 तक लगभग 32,000 किलोमीटर तक लम्बी सड़कों को 4 लेन का किया जाना है। 2015-16 में 24,706 किलोमीटर, 2016-17 में 28,182 किलोमीटर का लक्ष्य था। 2017-18 में एवं 2020-21 के बीच सड़क क्षेत्र के लिए लगभग 6.5 लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता होगी। जो NIF, IDEC तथा IIFCL के माध्यम से जुटाया जाएगा
3. वर्ष 2019-20 तक रेल ट्रैक की लम्बाई 130 लाख किलोमीटर होना जो जो 2016-17 में 17.8 लाख किलोमीटर लक्षित है। 2015-16 के अंत में कुल रेल ट्रैक की लम्बाई 16.5 लाख थी।
4. मालगाड़ी की खाली डब्बों की वापसी का अनुपात वर्तमान में 39% से घटाकर 2020 तक 30% तक करना। यह विश्वस्तर पर 25% ही है।
5. वर्ष 2022 तक 17% विद्युत उत्पादन सौर एवं पवन ऊर्जा से 2015-16 में यह हिस्सेदारी मात्र 5.7% ही रही। 2016-17 का लक्ष्य 6.5% का हो 2016-17 के लिए विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य 269 GW है। जो 2016-17 में उत्पादित 250 GW विद्युत से 7.6% अधिक हो
6. 2019-20 तक कोयला का उत्पादन 1000 मिलियन टन, 2015-16 में कोयला का उत्पादन 597 मिलियन टन रहा, 2016-17 तक का

P.T.O

लक्ष्य 657 मिलियन टन था।

7 उड्डयन क्षेत्र के लिए यात्री क्षमता 2019-20 तक बढ़ाकर 440 मिलियन यात्री प्रति वर्ष तथा कार्गो क्षमता 6 मिलियन टन प्रतिवर्ष करना। 2016-17 के लिए ये लक्ष्य क्रमशः 270 मिलियन यात्री तथा 4 मिलियन टन कार्गो का है। वर्ष 2015-16 में यात्रियों की संख्या 250 मिलियन तथा कार्गो 4 मिलियन था।

8 बंदरगाहों की क्षमता को 2015-16 में 1602 MTPA से बढ़ाकर 2019-20 में 2231 MTPA करना।

नीति आयोग के दो प्रमुख हब

टीम इण्डिया हब- राज्यों और केन्द्र के बीच इन्टरफेस का काम करता है

ज्ञान और नवोन्मेष हब- नीति आयोग थिंक टैंक की भाँति कार्य करता है

नीति आयोग द्वारा तीन दस्तावेज जारी किये गए हैं जिसमें 3 वर्षीय कार्य एजेन्डा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति का दस्तावेज, और 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज शामिल है।

नीति आयोग का उद्देश्य निम्नांकित है।

* यह मानते हुए कि राज्य ही मजबूत राष्ट्र बनाते हैं, संघीय सहभागिता की भावना को बढ़ाने के लिए राज्यों को निरंतर संरचित समर्थन के तंत्र के माध्यम से सहयोग प्रदान करना।
* ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजना बनाने के लिए तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों तक इसे उत्तरोत्तर विकसित करना।
* सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति और नीतियाँ शामिल की गई हैं।
* समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हो।
* प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शैक्षणिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
* राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोग से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता की सहायता प्रणाली बनाना।
* विकास एजेन्डा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय और विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना।

- राज्यों को ज्ञान संसाधन केन्द्र के रूप में स्थापित करे, शासन पर शोध का केन्द्र बनाने एवं सतत न्यायसंगत विकास में सर्वोत्तम तरीके अपनाने तथा विभिन्न हित धारकों तक उनको पहुँचाना
- योजना का विकेंद्रीकरण/एकलोकेन पंचवर्षीय योजना के जगह।
- परम्परागत नौकरशाही के स्थान पर विशेषज्ञता और प्रदर्शन के आधार पर जिम्मेदारियाँ तय करना।
- नीति आयोग के सृजन के साथ परिवर्तन के एक एजेन्ट के रूप में उभर सकता है और सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर डिलीवरी करने तथा तथा उसमें सुधार के एजेन्डे में योगदान दे सकता है।
- कार्यक्रम एवं नीतियों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर।
- राष्ट्रीय विकास एजेन्डा और उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना।

इस प्रकार नीति आयोग स्वयं को एक अत्याधुनिक संसाधन केन्द्र के रूप में विकसित कर रहा है जिसके आवश्यक संसाधन, ज्ञान, और कौशल हो जो इसे गति के साथ कार्य करने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने, सरकार के लिए कार्यनीतिक नीति दृष्टि प्रदान करने, और सामयिक आकस्मिक मुद्दों का समाधान सक्षम होगा।